Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर

उर्मिला सारण आदि – : बनाम : – गोरधन दास आदि

किस्म मुकदमा –53 RTA. **मुकदमा नम्बर –12 / 2023**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
13.03.24	आज यह पत्रावली वकील वादीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गयी। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में खाता विभाजन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.01.2024 की पालना में तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर से प्राप्त खाता विभाजन प्रस्ताव प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में खाता विभाजन की अंतिम डिक्री जारी करने का आदेश प्रदान करावें। प्रकरण में आदेश दिनांक 16.01.2024 द्वारा खाता विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गयी, जिसकी पालना में खाता विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुरूप है। अतः प्रकरण खाता विभाजन की अंतिम डिक्री पर सुना गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय है। बहस वकील वादीगण पर मनन किया। प्रार्थना–पत्र प्रार्थी, खाता विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादीगण को बार–बार सूचित किये जाने उपरान्त उपस्थित नहीं होने पर मौका स्थितिनुसार खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये। प्रस्ताव के हमराह प्रेषित नवीनतम जमाबंदी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को विक्रय कर दी गयी। अतः प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित आराजी में कोई हक शेष नहीं है। वादीगण की ओर से निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश किये गये। शामिल पत्रावली हो। अन्य कोई आपत्ति न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं की गयी है। खाता विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के अनुरूप है तथा समस्त खातेदारों को उनके खेत तक पहुंच हेतु रास्ता नजरी नक्शा में प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर खाता विभाजन की अंतिम डिक्री दी जानी न्यायोचित है। उपखण्ड अधिकारी बीकानेर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अतः प्रकरण में प्रस्तुत खाता विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा के आधार पर खाता विभाजन निम्न तालिकानुसार किया जाने का आदेश दिया जाता है–

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1.	मनमोहन पुत्र मगनलाल हिस्सा पूर्ण जाति पुरोहित साकिन रिड़मनलसर सागर खातेदार	350	0.23	बा 2	2.23
		352	0.06	गैर मुमकिन	
		354	0.97	बा 2	
		355	0.80	बा 2	
		किता– 4	कुल– 2.06	–	
2.	तारादेवी पत्नी रतनलाल हिस्सा पूर्ण जाति जाट साकिन रिड़मलसर सागर खातेदार	350	0.23	बा 2	3.97
		352	0.08	गैर मुमकिन	
		354	1.52	बा 2	
		355	1.84	बा 2	
		किता– 4	कुल– 3.67	–	
3.	नानूदवी पत्नी लेखराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट साकिन खारी तहसील लूणकरणसर खातेदार, रहन बदस्तुर	349	0.08	बा 2	2.17
		350	0.04	बा 2	
		352	0.01	गैर मुमकिन	
		354	0.71	बा 2	
		355	0.44	बा 2	
		356	0.73	बा 2	
		किता– 6	कुल– 2.01	–	
4.	उर्मिला सारण पत्नी परविन्दर मोटसरा हिस्सा पूर्ण जाति जाट साकिन अम्बेडकर कॉलोनी शिवबाड़ी रोड़ बीकानेर खातेदार	349	0.13	बा 2	2.17
		352	0.03	गैर मुमकिन	
		354	0.66	बा 2	
		356	1.19	बा 2	
		किता– 4	कुल– 2.01	–	
5.	गीता सहू पत्नी रामचन्द्र कस्वां हिस्सा पूर्ण जाति जाट साकिन 67 अमित कॉलोनी बीकानेर खातेदार	349	0.12	बा 2	2.17
		352	0.03	गैर मुमकिन	
		354	0.66	बा 2	
		356	1.20	बा 2	
		किता– 4	कुल– 2.01	–	
6.	हेमलता पत्नी राजुकमार कस्वां हिस्सा पूर्ण जाति जाट साकिन 67 अमित कॉलोनी बीकानेर खातेदार	349	0.07	बा 2	2.17
		352	0.03	गैर मुमकिन	
		354	0.61	बा 2	
		356	1.30	बा 2	
		किता– 4	कुल– 2.01	–	

तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर द्वारा प्रस्तुत खाता विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय, डिक्री एवं खाता विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की एक प्रति वास्ते अमल दरामद तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर को प्रेषित की जावे। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर